न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **24/2019** अपील (राजस्व)

1. श्री भेरूलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री सोहनलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री भगवतीलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री लेलापत पिता शंकरलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती निर्मला पत्नी नारायणलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

...........अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती मन्जु (पिता छगनलाल जी) पत्नी श्री पुरणमल जी मीणा, निवासी नाहरपुरा, रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती संनू (पिता छगनलाल जी) पत्नी श्री बंशीलाल जी मीणा, निवासी नाहरपुरा, रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भगवती बाई पिता छगनलाल जी मीणा, निवासी नाहरपुरा, रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती जशोदा पिता छगनलाल जी मीणा, निवासी नाहरपुरा, रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी छगनलाल जी मीणा, निवासी नाहरपुरा, रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री नानालाल पिता शंकरलाल जी ब्राहम्ण मादावत, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर उदयपुर

...........रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर तारीख 26.03.2019 मुकद्मा नम्बर 08/2017 विविध

उपस्थितः श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स

निर्णय

दिनांकः— 13.12.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील धारा 225 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर निर्णय दिनांक 26.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्याय व विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया [illegible] धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में कब्जा प्राप्त करने के लिए [illegible] साल निर्धारित है। ऐसी स्थिति में छगनलाल का प्रार्थनापत्र मर्यादा [illegible]हर का है। छगनलाल द्वारा जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आराजी नं. 2274 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा टेका, सवा पिता अमरा के नाम 1/2 हिस्सा व भगवतीलाल पिता सवा भील के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है व उसके पडौस भी प्रार्थनापत्र में अंकित है। परन्तु प्रार्थनापत्र में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भूमि का बटवाडा होकर छगनलाल का हिस्सा कौनसी जगह है। ना ही यह अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा किस हिस्से पर कब्जा किया। छगनलाल का प्राकृतिक प्रार्थनापत्र अस्पष्ट व वेग है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। पर्चा मौका दिनांक 21.05.2018 के अनुसार अपीलान्ट का कथित भूमि पर कब्जा 20 वर्ष पहले का होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मृतक के पक्ष में पारित किया गया हैं जो नलिटी अवैध्य व शून्य हैं। न्यायालय द्वारा यह भी अंकित नहीं किया गया है कि इस पर धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम के नियम लागू होते है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो सहमति से कब्जा होना बताया। दूसरी तरफ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। न्यायालय द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि छगनलाल द्वारा अपीलान्ट से 80000/– रूपये प्राप्त किये है जो लौटाये नहीं है। इसके बावजूद भी सुपुर्दगी आदेश के साथ 24900/– रूपये अधिरोपित किये गये। अपीलान्ट की तलबी चल रही है और बिना तलबी के ही कथित निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के तामील कुनिन्दा द्वारा भी गलत रिपोर्ट की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 से अपीलान्टस को अपील का खर्चा दिलाया जावे।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 एवं 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित अदालत हाजा नहीं आए। अप्रार्थी संख्या 3 की तरफ से वकालतनामा एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो सलंग्न पत्रावली है। अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्टगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की अनुपालना में उनके अधिवक्ता श्री विनोद कुमार ओस्तवाल एवं श्री नारायण लाल गाडरी द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17.05.2018 को सोहनलाल द्वारा उपस्थित होकर कथित इकरार विक्रय दिनांक 18.12.1995 का प्रस्तुत किया गया। जिससे भी उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183बी मूल अवधारणा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध संक्षिप्त बेदखली का प्रावधान एक सामाजिक व आर्थिक सुधार का पर्याय है। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत इकरार नामा दिनांक 18.12.1995 ना केवल उनकी अतिचार की स्वीकारोक्ति हैं तथापि आर.टी.टी. की धारा 42 के उपबन्धों के उल्लंघन में किये गये अन्तरण जो आरम्भ से ही शून्य है धारा के मूल शीर्षक यथा भूमि पर बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है के अनुरूप अप्रार्थी दिनांक 18.12.1995 से ही जनजाति की भूमि का अतिचारी है। जिस पर कोई परिसीमन अनुज्ञात नहीं है। अपीलार्थी द्वारा इकरारनामे की आड में जनजाति की भूमि पर अतिचार किया है तथा सिपुर्द कर दी है। सहमति कब्जे का तात्पर्य यह नहीं है कि यह कब्जा विधि पूर्ण है। अप्रार्थी का कब्जा धारा आर.टी.ए.42(ख) के विरूद्ध होकर जनजाति भूमि पर अतिचार है। अपीलान्टगणों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में जनजाति कृषक की भूमि पर अवैध एवं प्रारंभतः शून्य अन्तरण की आड में लायी गई प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में बहस सुनी गई एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर अवलोकन एवं मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस में अपनी अपील में वर्णित एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचारधीन रहने के दौरान छगनलाल की मृत्यु हो गई एवं यह तथ्य अधीनस्थ अदालत के ध्यान में लाया। उसके बावजूद अधीनस्थ अदालत ने मृतक व्यक्ति के पक्ष में आदेश जारी किया जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। अतः अपीलाधीन आदेश इसी आधार पर निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का 20 वर्ष से कब्जा सहमति के आधार पर है। जबकि छगनलाल द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पुनः भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया है परन्तु धारा 183बी की मयाद अवधि 12 वर्ष ही हैं जबकि कब्जा 20 वर्ष का है। अतः छगनलाल का प्रार्थनापत्र मयाद अवधि पर खारीज फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजीयात में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा ही निहित है। अपने प्रार्थनापत्र में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट का कब्जा किस जगह है। जबकि वादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदारों से बटवाडा नहीं हुआ है। जब वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा सहमति के आधार पर है तो किस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्ट से छगनलाल द्वारा रूपये 80000/– प्राप्त किये है जो नही लौटाये गये है। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट पर रूपये 24900/– की शास्ति आरोपित की गई है। तामील कुनिन्दा द्वारा भी अपीलान्ट को तामील नहीं करवा कर गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गलत रिपोर्टो के आधार पर तामील मानी जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित कर दिया गया जो विधि संगत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना फरमावे। अपने कथनों की ताईद में सेक्शन 183बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 2008 आरआटी पेज 28, 2006 आरआरटी पेज 383, 1983 आरआरडी पेज 563–564, 2009(2)आरआरटी 1337 के दृष्टांत पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का अवलोकन एवं मनन किया जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया। जिस हेतु प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर पुनः कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। जिस पर अपीलान्टगणों द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता छगनलाल से रूपये 80000/– में उक्त भूमि को निजी पत्र पर लिख कर खरीदे का एवं कब्जा होना स्वीकार किया। छगनलाल की मृत्यु होने से उक्त भूमि छगनलाल के वारिसानों के नाम दर्ज हुई। जिनके द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व रेकार्ड में आज भी यह भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है। जिनकी जमीन अन्य जाति के व्यक्ति नहीं खरीद सकते है न ही उनके नाम पर नामान्तकरण दर्ज हो सकता है। यदि ऐसा कोई दस्तावेज हो तो भी शून्य है। जिससे उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अनूसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)च, छ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत आता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह विधिक होकर नियमानुसार है। अपीलान्ट द्वारा मियाद के संबधं में एवं धारा 175 के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में इन बिन्दुओं पर अपीलान्ट को कोई दाद प्राप्त नहीं होती है। अतः प्रकरण में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जाये एवं यदि अपीलान्ट्स भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्टगणों को सुपुर्द नहीं करता है तो धारा 183सी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत न्यायोचित कार्यवाही करना फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर विचार करने से पहले यह तथ्य निर्णित करना उचित होगा कि क्या अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के पक्ष में जारी होने से आदेश नलीटी एवं शून्य है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहने के दौरान छगनलाल पिता वरदा मीणा का निधन हो गया। यह तथ्य अधीनस्थ अदालत के ध्यान में लाया जाना अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट है। इसके बावजूद छगनलाल (मृतक) के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया एवं मृतक व्यक्ति के पक्ष में अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। विधिक रूप से मृतक व्यक्ति के पक्ष या विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए बिना मृतक व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्षकारान नये सिरे से चाराजोही करने को स्वतंत्र होगे।

निर्णय की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested